भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 127

25.11.2024 को उत्तर के लिए

भारत में हाथियों की स्थिति और उनका संरक्षण रिपोर्ट 2022-23

127. श्री ससिकांत सेंतिल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "भारत में हाथियों की स्थिति 2022-23" रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा और इस रिपोर्ट को जारी करने की संभावित समय-सीमा क्या है;

(ख) मध्य भारत और पूर्वी घाट क्षेत्रों में हाथियों की संख्या में 41 प्रतिशत की कमी सहित हाथियों की संख्या में कथित 20 प्रतिशत की कमी से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने हाथियों की संख्या पर वर्तमान और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए आकलन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन्यजीव संस्थान और राज्य वन विभागों के समन्वय से वर्ष 2022-23 में एक 'अखिल भारतीय समकालिक हाथी आकलन' शुरू किया है। ऐसी सभी आकलन रिपोर्टों को उनके पूरा होने के बाद ही सार्वजनिक किया जाता है।

(ग) हाथी संरक्षण सहित वन्यजीव पर्यावासों का प्रबंधन मुख्यत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। हाथी रिजर्वों का अधिकांश भाग बाघ रिजर्वों, संरक्षित क्षेत्रों, आरक्षित वन और संरक्षित वन क्षेत्रों में फैला हुआ है जिन्हें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और अन्य राज्य अधिनियमों के अंतर्गत संरक्षित किया जाता है। अवसंरचना विकास परियोजनाओं से संबंधित कार्यकलाप मौजूदा अधिनियमों, नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार विनियमित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विकासात्मक परियोजनाओं में, जहां भी लागू हो, आवश्यक निवारक उपाय भी किए जाते हैं।

*****